जीजा घोष और इंसानी गरिमा की लड़ाई

[जीजा घोष और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2016) 7 एस.सी.सी. 761 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले पर आधारित]

जीजा घोष कौन हैं?

जीजा घोष भारत में विकलांगता अधिकारों के लिए काम करने वाली एक पुरस्कार प्राप्त एक्टिविस्ट हैं. उन्हें पैदाइशी सेरिब्रल पाल्सी है और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानी गरिमा और विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए भेदभाव के ख़िलाफ़ लड़ाई को समर्पित कर दी है

C-HELP

JUSTICE adda

जीजा सर्वोच्च न्यायालय कैसे पहुँचीं?

19 फरवरी 2012 को जीजा अंतरराष्ट्रीय विकलांगता अधिकार सम्मेलन में हिस्सा लेने गोवा जा रही थीं. वे हवाई जहाज़ में बैठ चुकी थीं, जब उड़ान दल (फ़्लाइट क्रू) के सदस्यों ने जीजा से उनका बोर्डिंग पास मांगा, जो जीजा ने उन्हें दे दिया.

भेदभाव की इस कार्रवाई और अपमान से जीजा को गहरा सदमा पहुँचा. लेकिन वे चुप रह जाने वालों में नहीं थीं.

जीजा ने अपनी आवाज़ उठाई

सर्वोच्च न्यायालय जाने से पहले, जीजा ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में इस घटना के बारे में शिकायत की, साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त, और भारत सरकार के विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के पास भी शिकायत दर्ज कराई.

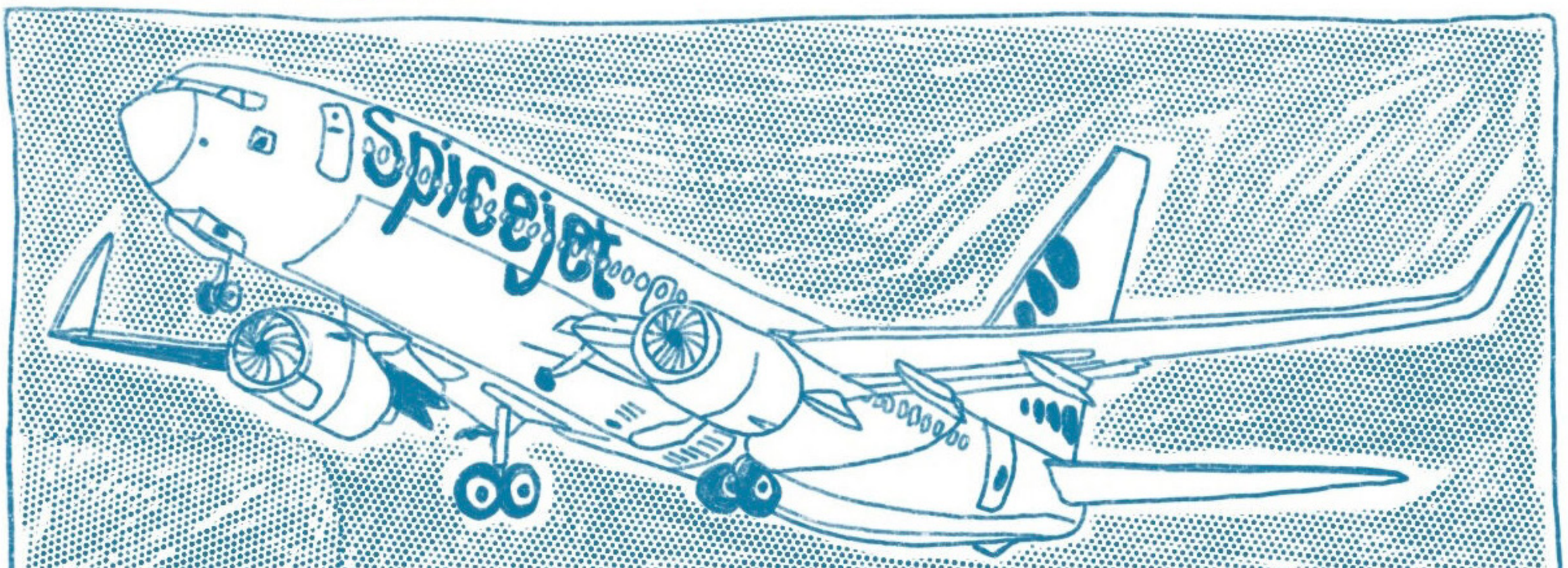

दोनों आयुक्तों ने एयरलाइन स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया. जवाब में एयरलाइन ने टिकट कैंसल करने की 1500 रुपए की फ़ीस काट कर टिकट की बाक़ी क़ीमत वापस करने की बात कही.

जीजा घोष ने राज्य उपभोक्ता विवाद निबटारा आयोग, कोलकाता में भी दावा पेश किया.

जीजा ने सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक दी

आख़िरकार जीजा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ हुई मनमानी और अपमानजनक भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार) और 21 (जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है.

जीजा की याचिका को एक एनजीओ एडैप्ट (एबल डिसएबल्ड ऑल पीपल टुगेदर) ने समर्थन दिया.

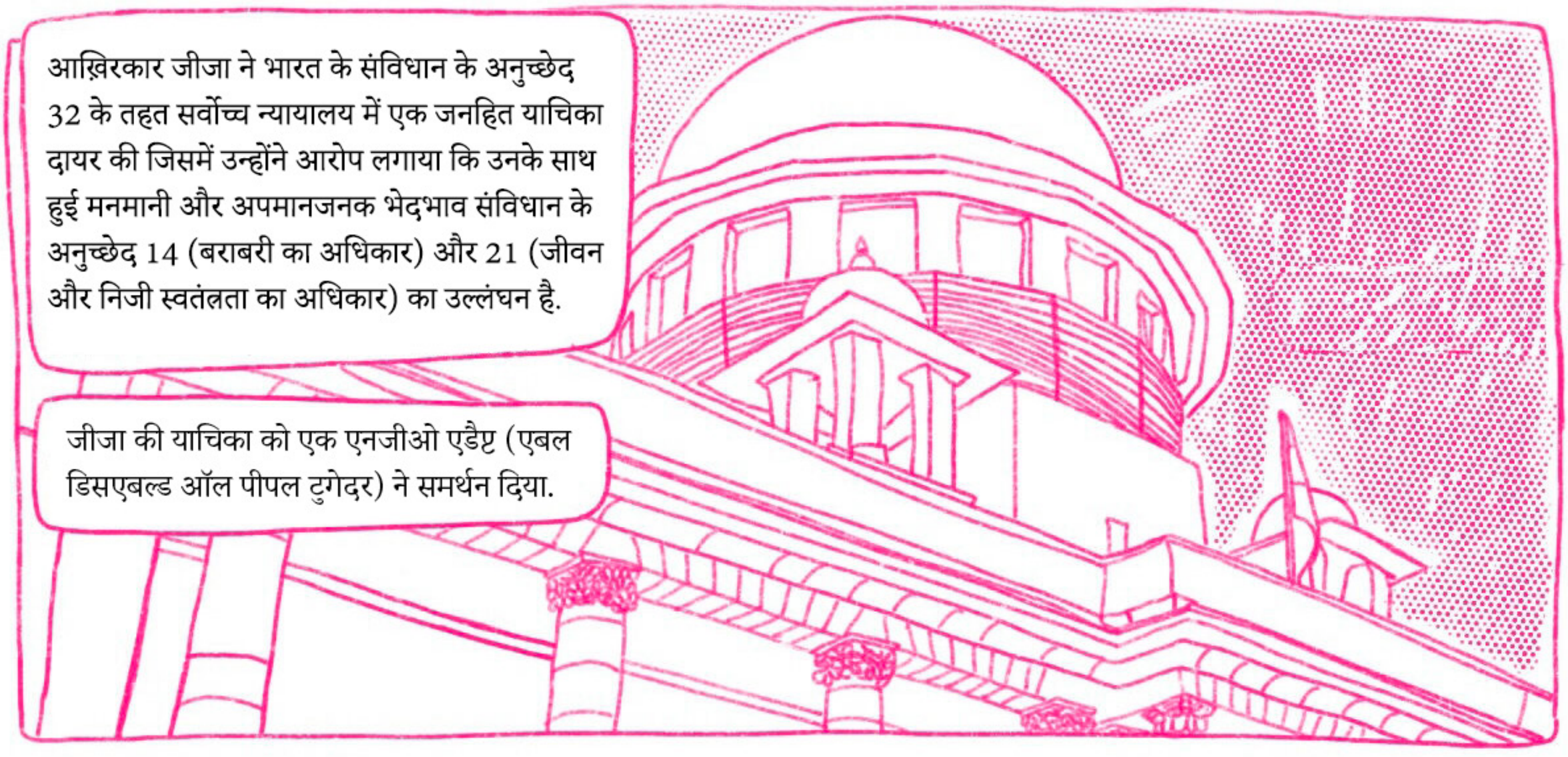

याचिका में जीजा ने हवाई यात्रा के दौरान विकलांगता वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ होने वाली भेदभाव की सच्ची घटनाएँ दर्ज कीं और रेखांकित किया कि यह कितने नियमित रूप से हुआ करता था...

"मि. टोनी कुरियन को उनकी दृष्टि संबंधी समस्याओं के कारण बार-बार टिकट ख़रीदने के अधिकार से वंचित रखा जाता था."

"मिस अनिली अग्रवाल को दिल्ली से रायपुर की हवाई यात्रा करने से पहले एक क्षतिपूर्ति अनुबंध (इन्डेम्निटी बॉन्ड) पर दस्तख़त करने को मजबूर किया गया."

"मि. नीलेश सिंगित को एक एयरलाइन द्वारा कहा गया कि वे अपनी बैसाखियों के साथ यात्रा नहीं कर सकते थे."

संविधान, राष्ट्रीय क़ानून और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं का हवाला

जीजा ने दलील दी कि...

"सरकार के लिए निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांगताओं वाले लोग ऐसे किसी भेदभाव और उत्पीड़न के बिना अपनी संपूर्ण क्षमता को हासिल कर सकें, इसमें हवाई अड्डे और हवाई जहाज़ समेत परिवहन व्यवस्थाएँ भी शामिल हैं"

जीजा ने यह भी रेखांकित किया कि यह सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, 2008 (सी.ए.आर. 2008) का साफ़-साफ़ उल्लंघन है. सी.ए.आर. 2008 ऑन द कैरिज बाई एयर ऑफ़ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एंड/ऑर पर्सन्स विद रिड्युस्ड मोबिलिटी को नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत जारी किया था ताकि विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए हवाई यात्रा को सुगम और समावेशी बनाया जा सके.

आख़िरकार जीजा ने कई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं का हवाला भी दिया जो विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के अधिकारों को स्वीकृति देते हैं और उनका संरक्षण करते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) जिसको भारत ने 2007 में मंजूरी दी है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय का आत्मविश्लेषण

मुक़दमा अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 22 मार्च 2012 को अशोक कुमार समिति का गठन किया जिसे विकलांगताओं वाले और सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए हवाई यात्रा को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों को देखना था. समिति में 21 सदस्य शामिल थे, जिसमें विकलांगता अधिकारों पर काम करने वाले एनजीओ के सदस्य भी थे.

समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और सी.ए.आर. 2008 में कई खामियों को रेखांकित किया.

"टिकट ख़रीदने की व्यवस्था को और आसान बनाने की ज़रूरत है"

"हरेक हवाई अड्डे पर सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए एक "शिकायत समाधान अधिकारी" के साथ शिकायतों का निबटारा करने की व्यवस्था होनी चाहिए"

"एयरलाइन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की एक मानक प्रक्रिया की ज़रूरत है"

"विकलांगता वाले व्यक्तियों की परिभाषा को बढ़ाने की ज़रूरत है जिसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाए जिनमें कोई प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली विकलांगता न हो"

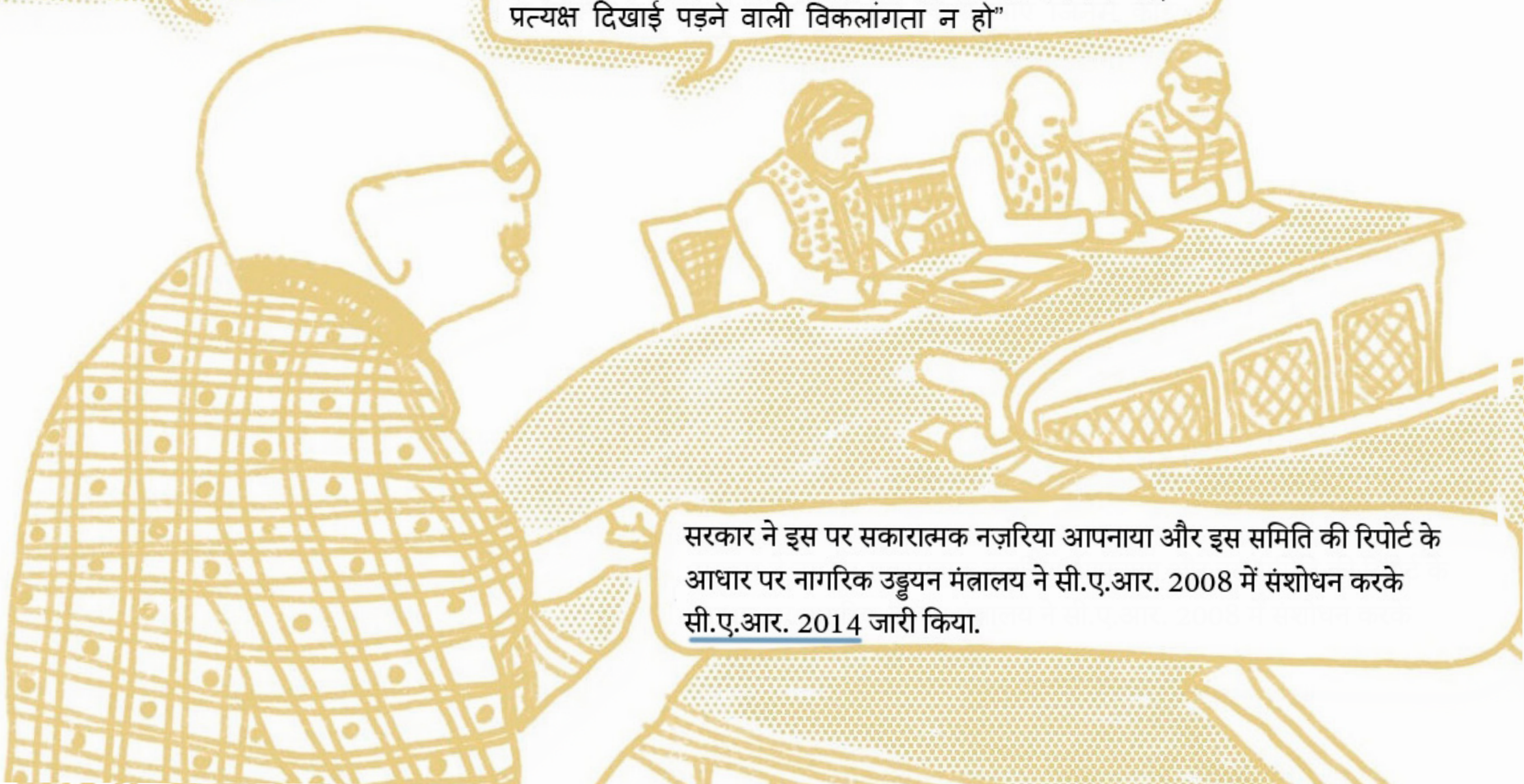

सरकार ने इस पर सकारात्मक नज़रिया आपनाया और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सी.ए.आर. 2008 में संशोधन करके सी.ए.आर. 2014 जारी किया.

अदालत के निर्देश

भारत सरकार के लिए

"सरकार को सी.ए.आर. 2014 की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है ताकि उसे अशोक कुमार समिति की उन सिफ़ारिशों के अनुरूप बनाया जा सके जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया है."

एयरलाइनों के लिए

"हम इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जीजा घोष के साथ समुचित, निष्पक्ष और ज़िम्मेदार व्यवहार नहीं किया गया जो उन्हें समुचित संवेदनशीलता के साथ मिलना ज़रूरी था, और उन स्थितियों में उन्हें हवाई जहाज़ से उतारने का फैसला अनुचित था. उससे भी बढ़कर, जिस तरह से उन्हें हवाई जहाज़ से उतारते वक़्त उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वह एयरलाइन के कर्मचारियों में संवेदनशीलता के पूरे अभाव को दिखाता है."

अदालत ने निर्देश दिया कि जीजा घोष को उनके मानसिक संत्रास, उत्पीड़न और अपमान के लिए 10,00,000 रुपए की राशि का हर्जाना चुकाया जाए

निजी सेक्टर की ज़िम्मेदारियों पर

स्पाइसजेट ने अपनी ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हुए यह कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वह बाक़ी सभी सवारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी था.

अदालत ने कहा कि...

"हमने अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं और व्यवस्थाओं में विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी पर पहले ही ग़ौर किया है. जहाँ तक उन अधिकारों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी का सवाल है, यह सिर्फ़ सरकार या सरकारी एजेंसियों/राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निजी संस्थाएँ भी (जिसमें निजी परिवहन कंपनियाँ भी शामिल होंगी) इस ज़िम्मेदारी से बंधी हैं जिन्हें पूरा करने की उनसे अपेक्षा की जाती है."

विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा...

"विकलांगता को आम तौर पर एक मेडिकल और कल्याणकारी नज़रिए के तहत देखने का रुझान है, जिसमें विकलांगताओं वाले लोगों की पहचान बीमार लोगों के रूप में की जाती है, जो अपने अ-विकलांग साथियों से अलग होते हैं और जिन्हें देख-रेख की ज़रूरत होती है. विकलांगताओं वाले व्यक्तियों की मेडिकल ज़रूरतों पर इस तरह ज़ोर दिए जाने की वजह से उतनी ही ज़रूरी उनकी व्यापक सामाजिक ज़रूरतों की अनदेखी हो जाती है, जिसके नतीजे में विकलांगताओं वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों का गंभीर अलगाव जन्म लेता है."

"भेदभाव से मुक्ति का सिद्धांत इसको सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों और आज़ादियों का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें अमल में ला सकते हैं. भेदभाव तब होता है जब समान भागीदारी के लिए अवसरों को मनमाने तौर पर नकारा जाता है...समानता का मतलब सिर्फ़ भेदभाव को रोकना ही नहीं है (जैसे भेदभाव विरोधी क़ानून लागू करके व्यक्तियों को प्रतिकूल व्यवहारों से बचाना), बल्कि यह उससे आगे बढ़ कर उन समूहों के ख़िलाफ़ भेदभाव का उपचार करना है जो समाज में व्यवस्थागत भेदभाव से पीड़ित हैं. ठोस शब्दों में, इसका मतलब है कि सकारात्मक अधिकारों, सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) और न्यायोचित अनुकूलन की अवधारणा को अपनाया जाए."

मानव गरिमा का दर्शन क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा...

"1995 अधिनियम के तहत भिन्न-रूप से सक्षम व्यक्तियों को जिन अधिकारों की गारंटी की गई है, वे मानव गरिमा के मजबूत सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो मानवाधिकारों का केंद्रीय मूल्य है और जिसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है. ऐसे एक अधिकार, जिसे अब विकलांगता वाले व्यक्ति के मानवाधिकार के रूप में लिया जाता है, की जड़ें संविधान के अनुच्छेद 21 में हैं...इस तरह, मानव गरिमा एक संवैधानिक मूल्य है और एक संवैधानिक लक्ष्य है."

क़ानून की मौजूदा स्थिति

जीजा घोष ने अधिक संवेदनशील क़ानून बनाए जाने की राह खोली. आज के समय में यात्राओं के दौरान विकलांगता वाले व्यक्तियों के अधिकारों के लिए हम दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देख सकते हैं.

27 दिसंबर 2016 को निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की जगह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया गया. हमारे संदर्भ में नए क़ानून की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें निजी सेक्टर के ऊपर निश्चित जिम्मेदारियाँ लागू की गईं जो पुराने अधिनियम में नहीं थीं.

यह अधिनियम इसे कैसे संभव बनाता है?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम → {सेक्शन 2(झ)} यह प्रतिष्ठान ("स्थापन") को परिभाषित करता है → {सेक्शन 2(फ)} जिसके तहत निजी प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है → {सेक्शन 40} फिर, यह केंद्र सरकार पर इसकी ज़िम्मेदारी डालता है कि वह परिवहन को सुगम बनाने के लिए मानक तैयार करे जिसमें समुचित तकनीक, व्यवस्थाएँ और सुविधाओं को शामिल किया जाए → {सेक्शन 46} आख़िरकार, यह निजी सेवादाताओं पर ज़िम्मेदारी डालता है कि वे केंद्र सरकार द्वारा सेक्शन 40 के तहत तैयार किए गए सुगमता के नियमों के अनुरूप सेवाएँ मुहैया कराएँ.

विकलांगता वाले व्यक्तियों की हवाई यात्रा के लिए नागरिक उड्डयन ज़रूरतों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है.

हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं?

- नागरिक उड्डयन ज़रूरतों को तैयार करने के प्रभारी पदाधिकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है.
- उनकी वेबसाइट *www.dgca.gov.in* पर सी.ए.आर. संबंधी सभी अपडेट प्रकाशित होते हैं. → सी.ए.आर. का सेक्शन 3 "हवाई परिवहन" के बारे में है जो विकलांगता और/या सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों की हवाई यात्रा संबंधी ज़रूरतों के बारे में बताता है. → सी.ए.आ.र. 2014 का सबसे ताज़ा संस्करण 9 जुलाई 2021 को लागू हुआ.

एक ऐतिहासिक फैसले के बाद, लड़ाई जारी है...

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के नतीजे में विकलांगता वाले व्यक्तियों के यात्रा संबंधी नियमों में दूरगामी बदलाव आए, और इसी का असर है कि ऐसे व्यक्तियों को सुविधाएँ मुहैया कराने पर सभी एयरलाइन और प्रमुख हवाई अड्डे राज़ी हुए. लेकिन गरिमा की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है जो अभी भी जारी है.

नवंबर 2020 में जीजा को एक बार फिर कोलकाता में एक मॉल में दाख़िल होने से इस वजह से रोक दिया गया कि उनके साथ कोई नहीं था. मॉल अधिकारियों ने बाद में बिना शर्त माफ़ी मांगी.

28 मिनट लंबी एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म "आई एम जीजा" जीजा घोष के जीवन, संघर्षों और सफलताओं की कहानी बयान करती है. इस फिल्म को 2017 में 64वाँ राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हासिल हुआ.

2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने विकास कुमार बनाम यू.पी.एस.सी. [(2021) 5 SCC 370] के अपने फैसले में कहा कि डिस्ग्राफिया या राइटर्स क्रैम्प से पीड़ित किसी व्यक्ति को सिविल सेवा परीक्षाओं में एक लेखक पाने का हक़ है.

"सरकार को अपनी इस मूलभूत ग़लती से छुटकारा पाने की ज़रूरत है कि सिर्फ विशिष्ट विकलांगताओं वाले व्यक्तियों को ही सहायता की ज़रूरत है. जीजा घोष फैसले ने स्थापित किया है कि बराबरी सिर्फ़ भेदभाव को रोकने तक सीमित नहीं है बल्कि यह सकारात्मक अधिकारों की एक व्यापक शृंखला तक जाती है, जिसमें न्यायोचित अनकूलन शामिल है"

1.12.2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने जीजा घोष मामले में एक और अंतरिम आदेश पारित करते हुए डी.जी.सी.ए. को निर्देश दिया कि वे अपने ताज़ा 2021 सी.ए.आर. में जीजा की प्रतिक्रियाओं पर विचार करें. अदालत ने डी.जी.सी.ए. से यह भी कहा कि वे इस पर भी विचार करें कि विकलांगता वाले व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं उठाया जाए, और कृत्रिम अंगों वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षा जाँच के समय इन अंगों को हटाना ज़रूरी नहीं हो.